अध्याय III: नीति कार्यान्वयन मुद्दे

3.1 एचबीपी खण्ड I के पैराग्राफ 1.1 के अनुसार, डीजीएफटी डीईपीबी दरों की अनुसूची को अधिसूचित करता है। इसके अलावा, एफटीपी के पैराग्राफ 2.4 के अनुसार, डीजीएफटी विदेश व्यापार (विकास एवं विनियम) अधिनियम, उसके अन्तर्गत निर्मित नियम तथा निर्देश तथा एफटीपी के प्रावधानों को लागू करने के उद्देश्य हेतु एक निर्यातक अथवा आयातक अथवा किसी लाइसेंस द्वारा अथवा अन्य सक्षम प्राधिकरण के लिए अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया को निर्दिष्ट कर सकता है। ऐसी प्रक्रियाओं को एक सार्वजनिक सूचना (पीएन) के माध्यम से जारी किया जाना चाहिए तथा इसके तरीके में समय-समय पर संशोधन किया जा सकता है।

डीजीएफटी ने अपने उत्तर में बताया (फरवरी 2014) कि 2005-06 से 2011-12 की समयावधि के दौरान भारत के प्रति डब्ल्यूटीओ/द्विपक्षी द्वारा कोई विवाद (अनुदान मामले) नहीं था।

तथापि, डब्ल्यूटीओं द्वारा समीक्षित भारत की व्यापार नीति में चर्चित डीईपीबी की संगणना को प्रति लाभ लेने के रूप में लिया गया है तथा यूएस, कनाडा तथा ईयू द्वारा इसके विपरीत कार्रवाई की गई है। उच्चतम न्यायालय (एससी)/केन्द्रीय उत्पाद सेवा कर प्रशासनिक अधिकरण (सीईएसटीएटी) के कानूनी मामलों ने नीति की गलत व्याख्या तथा परिचालन दोष के विभिन्न मुद्दों छुआ है।

3.1.1 शुल्क के वास्तविक भार पर विचार किए बिना निर्धारित डीईपीबी दरों के परिणामस्वरूप अतिरिक्त शुल्क क्रेडिट

वित्तीय औचित्य के मानकों से संबंधित सामान्य वित्तीय नियमावली का नियम 21 अनुबंधित करता है कि *''सार्वजनिक धन से व्यय अथवा अधिकृत करने वाले प्रत्येक अधिकारी को वित्तीय औचित्य के उच्च मानकों द्वारा निर्देशित होना चाहिए''*।

2006-07 के लिए डीईपीबी दरों की घोषणा दिनांक 3 जुलाई 2006 के पीएन 29 में की गई। वर्ष 2007 के दौरान, सीमा शुल्क की उच्चतम दर 12.5 प्रतिशत से 10 प्रतिशत तक कम हो गई थी। तथापि, वर्ष 2007-08 के लिए

घोषित डीईपीबी दरें 2006-07 के दौरान मौजूद दरों से एक प्रतिशत से लेकर तीन प्रतिशत तक बढ़ी थी। डीईपीबी दरों मे वृद्धि के लिए मुख्य तर्क यह था कि रूपये का विनिमय मूल्य एक सीमा तक अधिमूल्यित हुआ था इस कारण सीमा शुल्क में कमी के बावजूद निर्यातक कठिनाई का सामना कर रहे थे। रूपया अमरीकी डॉलर के संदर्भ में मध्य-मार्च 2007 में ₹ 44 से थोड़ा अधिक मध्य-मई 2007 में ₹ 40 तक अधिमूल्यित हुआ था तथा इसके अलावा सितम्बर 2007 से अप्रैल 2008 के अंत तक ₹ 40 से कम अधिमूल्यित हुआ था। तथापि, उसके बाद मार्च 2009 में ₹ 51 तक जाकर मुद्रा डॉलर की तुलना में कम हुई थी तथा योजना की समाप्ति तक ₹ 44-52 की रेंज में था।

तथापि, डीईपीबी दरों में वृद्धि को केवल एक वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत किया गया था विभाग ने दर में वृद्धि को सामान्यीकृत किया जो 30 सितम्बर 2011 योजना की समाप्ति तक जारी रही।

वर्ष 2008-09 के लिए नई डीईपीबी दरों के निर्धारण के समय, डीजीएफटी द्वारा दी गई वृद्धि को कम करने के मामलें को फिरती निदेशालय तथा राजस्व विभाग दोनों द्वारा उठाया गया। वित्त मंत्री ने वाणिज्य मंत्री को लिखे अपने पत्र (अक्तूबर 2008) में कहा कि रूपये के मूल्य में काफी कमी के कारण, अनभिप्रेत राजस्व व्यय को समाविष्ट करने के लिए नीचे की डीईपीबी दरों को समायोजित करने की तत्काल आवश्यकता है तथा सीमा शुल्क में छूट को भी कम प्रचलित उत्पादों की डीईपीबी दरों में परिलक्षित होने की आवश्यकता है। तथापि, इसे योजना की समाप्ति (सितम्बर 2011) तक वर्ष 2008-09 के लिए निर्धारित दरों हेतु आगे ले जाने वाली जारी वृद्धि के कारण अतिरिक्त लाभ के परिणाम स्वरूप नई डीईपीबी दरों के निर्धारण के समय डीओसी/डीजीएफटी द्वारा स्वीकार नहीं किया गया।

इस प्रकार, 2009-10 से 2011-12 के दौरान कीमत के कम न होने से वृद्धि पर व्यापक प्रभाव पड़ा था, जिसके परिणामस्वरूप निर्यातकों को ₹ 11,361.32 करोड़ (परिशिष्ट VI देखें) का अतिरिक्त शुल्क क्रेडिट अनुमत किया गया जैसाकि नीचे वर्णित है:

तालिका: 5

2007-08 के दौरान डीईपीबी दर (औसत) (ए)	6.00
2007-08 की वृद्धि दर (औसत) (बी)	2.39
ए का बी %	39.85

तालिका 6

डीईपीबी क्रेडिट की औसत दर

(₹ करोड़ में)

वर्ष	डीईपीबी शुल्क क्रेडिट	निर्यात का एफओबी मूल्य	औसत दर
2005-06	5,010	1,10,267	4.54
2006-07	4,618	1,20,495	3.83
2007-08	5,496	1,25,183	4.39
2008-09	7,729	1,67,410	4.62
2009-10	8,267	1,68,044	4.89
2010-11	9,204	1,97,664	4.66
2011-12	11,165	2,50,532	4.46

डीजीएफटी ने अपने उत्तर में बताया (सितम्बर 2013) कि अक्तूबर 2007 में कुछ उत्पादों के लिए तदर्थ दरें संशोधित किया गया। तत्पश्चात् 5.11.2008 को डीईपीबी दरों (दरों में तदर्थ वृद्धि के बिना) को पुन: संशोधित की गईं। वर्ष 2009 में एक व्यापक संशोधन किया गया तथा सीमा शुल्क पर आधारित मसौदा डीईपीबी दरों को अंतिम रूप दिया गया। तथापि, 2011 में डीईपीबी योजना को वापिस लेने के सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के मद्देनजर इसे जारी नहीं किया जा सका।

डीजीएफटी ने आगे बताया (फरवरी 2014) कि अंतर मंत्रालयीन समिति तथा सचिवों की समिति सहित विभिन्न समितियों की सिफारिशों पर आधारित राहत प्रदान की गई। इसके पश्चात्, डीओआर द्वारा परामर्शित स्तर पर निहितार्थ राजस्व नीचे लाने के लिए, अनेक उत्पादों के लिए अक्तूबर 2007 से प्रभावी डीईपीबी दरों को नीचे की ओर संशोधित किया गया तथा वार्षिक डीईपीबी का प्रयोग करते हुए, नवम्बर 2008 से प्रभावी 1262 मदों की डीईपीबी दरों को कम तथा 26 मदों की दरों को बढ़ाया गया। डीजीएफटी ने आगे बताया कि विश्व स्तर पर मंदी की स्थिति के कारण, नवम्बर 2008 से पूर्व लागू डीईपीबी दरों को जनवरी 2009 से पुन: प्रचलित किया जाना था।

सितम्बर 2013 तथा फरवरी 2014 में डीजीएफटी द्वारा प्रस्तुत उत्तर भ्रांतिजनक है। सितम्बर में, डीजीएफटी ने बताया कि 2011 में डीईपीबी

योजना वापिस लेने के सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के मद्देनजर संशोधित दरों को जारी नहीं किए जा सके तथा फरवरी 2014 में, डीजीएफटी ने कहा कि वैश्विक मंदी के कारण उन्हें असंशोधित दरों को कायम रखना पड़ा। तथापि, तथ्य यह है कि 2009 में अंतिम रूप दी गई संशोधित डीईपीबी दरों जारी न होने के कारण अप्रैल 2009 से सितम्बर 2011 के दौरान सरकार द्वारा ₹ 11361.32 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

चूँकि डीईपीबी योजना का मुख्य उद्देश्य निर्यात उत्पाद की सामग्री के आयात पर सीमा शुल्क के मामलों को निष्प्रभावित करना था तथा डीईपीबी दर की संगणना के लिए फार्मूला मुद्रा दर से अलग है तथापि, वर्ष 2007 के लिए डीईपीबी दरों को सीमा शुल्क की दर में कमी के कारण कम किया जाना चाहिए। तथापि, विभाग ने डीईपीबी दरों को सीमा शुल्क के साथ जोड़ने की बजाय इसे मुद्रा दर तथा मंदी की प्रवृतियों के साथ इसे जोड़ा। लेखापरीक्षा को विनिमय दर के उतार-चढ़ाव तथा मंदी में अपनाई गई कार्यप्रणाली तथा संगणना के कारक प्रस्तुत नहीं किए गए। शुल्क के मामलों की पुनः संगणना के बिना डीईपीबी दरों में वृद्धि के परिणामस्वरूप निर्यातकों को अनुचित लाभ हुआ।

3.1.2 अधिसूचना को पूर्व प्रभाव से लागू करने से निर्यातकों को अनुचित लाभ

सीमा शुल्क में 2006-07 मे 15 से 12.5 प्रतिशत कमी के कारण डीईपीबी दरों में क्रमशः एक प्रतिशत से दो प्रतिशत और एक प्रतिशत की कमी के साथ डीजीएफटी द्वारा दिनांक 3 जुलाई 2006 की सार्वजनिक नोटिस संख्या 29 तथा दिनांक 5 नवम्बर 2008 की 102 द्वारा वर्ष 2006-07 तथा 2008-09 के लिए डीईपीबी दरें घोषित की गई, देखें। दरें पीएन जारी होने की तिथि से लागू होनी थी।

तथापि, डीजीएफटी द्वारा दिनांक 13 जुलाई 2007 की पीएन संख्या 18 दो से तीन प्रतिशत की रेंज की डीईपीबी दरें वृद्धि घोषित वर्ष 2007-08 के लिए डीईपीबी दरों को 1 अप्रैल 2007 से पूर्व प्रभाव से लागू किया गया था उसके कारण निर्यातको को ₹ 618.26 करोड़ के अनुचित लाभ का विस्तार हुआ जैसाकि नीचे वर्णित है:

तालिका: 7

2007-08 के दौरान डीईपीबी क्रेडिट	₹ 5,498 **करोड़**
डीईपीबी दर में % वृद्धि	39.85
2007-08 की अवधि हेतु अतिरिक्त लाभ	₹ 618.26 करोड़*

5498* का *39.85% 103दिन/365दिन

डीजीएफटी, नई दिल्ली ने बताया (नवम्बर 2013) कि निर्यात प्रतिस्पर्धा पर रूपये के अधिमूल्यन के प्रभाव, निर्यात आर्डर की हानि तथा विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार की संभावित हानि पर विचार करने हेतु 2007-08 में गठित समिति ने अपने विचार प्रस्तुत किए कि यदि निर्यातक जुलाई के माह में आर्डर की बुकिंग को छोड़ देता है, तो निर्यात में महत्वपूर्ण कमी होगी तथा रोजगार हानि जो आगे महत्वपूर्ण छंटनी उत्पन्न कर सकती है। इसलिए तत्कालीन वित्त सचिव, सचिव (राजस्व) तथा वाणिज्य सचिव के बीच आयोजित बैठक (25 जून 2007) के दौरान, यह सहमति हुई कि चयनित क्षेत्र के लिए डीईपीबी तथा शुल्क फिरती दर को सुविधाजनक रूप से समायोजित किया जा सकता था तथा सार्वजनिक नोटिस संख्या 17 को 12.7.2007 को जारी किया गया उसमें नई डीईपीबी दरें जो 31.3.2008 तक मान्य थी, को दर्शाया गया। पीएन जारी होने के पश्चात, यह देखा गया कि वित्त मंत्रालय ने 1.4.2007 से प्रभावी शुल्क फिरती दरों के साथ पूर्व-शिप तथा पिछली शिपमेंट पर 2 प्रतिशत रियायत को संशोधित किया था तथा तदनुसार वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के अनुमोदन से, 1 अप्रैल 2007 से प्रभावी डीईपीबी दरों में वृद्धि करने के लिए दिनांक 13.7.2007 को सार्वजनिक नोटिस संख्या 18 जारी की गई।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि 13 जुलाई 2007 को जारी सार्वजनिक नोटिस संख्या 18 को वित्त मंत्रालय को भेजे बिना 1 अप्रैल 2007 से पूर्व प्रभावी कर दिया गया था, उसके कारण निर्यातकों को अनुचित लाभ हुआ।

डीजीएफटी ने नवम्बर 2013 में अपने उत्तर मे प्रस्तुत कारणों को दोहराते हुए पूर्वव्यापी अधिसूचना के कार्यान्वयन को उचित बताया (फरवरी 2014)। तथापि, उत्तर वित्त मंत्रालय को भेजे बिना पूर्वव्यापी अधिसूचना के कार्यान्वयन के विषय में मूक है; न ही डीजीएफटी लेखापरीक्षा के लिए अधिकार प्राप्त समिति की बैठक के कार्यवृत प्रस्तुत कर सका।

3.1.3 एसआईओएनज के बिना डीईपीबी दरों का अनियमित निर्धारण

एचबीपी खण्ड । का पैराग्राफ 4.38 अनुबंधित करता है कि डीईपीबी दरों के निर्धारण हेतु सभी आवेदन संबंधित निर्यात संवर्धन परिषदों (ईपीसीज) के माध्यम से भेजा जाना चाहिए। जो एसआईओएन के तहत कवर सामग्री के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य के साथ निर्यात के एफओबी मूल्य को सत्यापित करेगी।

वर्ष 2007-08 के लिए डीईपीबी दरों के निर्धारण की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि पांच उत्पाद ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा 157 मदों के लिए डीईपीबी दरों को एसआईओएन में उपलब्धता के बिना निर्धारित किया गया था। इन मदों ने एक प्रतिशत से तीन प्रतिशत तक की तदर्थ वृद्धि रेंज का भी लाभ लिया। चूँकि अंतिम उत्पाद में उनके शेयर के साथ-साथ इनपुट तथा उस पर उद्ग्राहय सीमा शुल्क नहीं निकाला जा सकता, यह निश्चित नहीं किया जा सका कि विभाग ने डीईपीबी दरों के निर्धारण के लिए औसत सीमा शुल्क कैसे निकाला। यह भी पता चला कि वर्ष 2008-09 के लिए, डीईपीबी दरों को उन मदों जिनके लिए एसआईओएनज समाप्त किया गया है, के लिए पिछले वर्ष (2007-08) की दर पर निर्धारित किया गया था। चूँकि इन मदों के लिए कोई एसआईओएन नहीं है इसलिए डीईपीबी अनुसूची में उनकी निरन्तरता अनियमित थी।

डीईपीबी दरों के निर्धारण के दौरान विभाग ने माना (अक्तूबर 2008) कि 'इलेक्ट्रोनिक्स' ग्रुप उत्पाद में (उत्पाद कोड 83) डीईपीबी प्रविष्टियों की संख्या के प्रति एसआईओएन क्रम संख्या को मानदण्ड समिति द्वारा दर्शाया नहीं जा सका क्योंकि इन उत्पादों की डीईपीबी दर 1997 में अधिसूचित की गई थी तथा एसआईओएन आधारित विशेष मूल्य (1996-97 तक उपलब्ध) पर आधारित थी। इन उत्पादों के लिए डीईपीबी दरों को सीमा शुल्क में परिवर्तन की तुलना में पिछली दरों के प्रति यथानुपात आधार पर निर्धारित किया गया था।

1996-97 से इन मदों के लिए प्रासंगिक आंकड़ों के अभाव में इसके लिए एसआईओएन को अधिसूचित करने की विफलता तथा शुद्ध डीईपीबी दर निकालने की असमर्थता के कारण, अधिक डीईपीबी लाभ के कारण राजकोषीय

हानि को नकारा नहीं जा सकता। विनियमों के प्रति विभाग द्वारा डीईपीबी दरों के निर्धारण के स्वैच्छित तरीका भी नीति प्रावधानों के विपरीत था।

डीजीएफटी ने अपने उत्तर में बताया (फरवरी 2014) कि एसआईओएन निर्यात उत्पाद के निर्माण में उपयुक्त सामग्री तथा उनकी मात्रा के विषय में विवरण देता है। इसके पश्चात् मूल्य संवर्धन मानदण्ड (जहां भी लागू हो) के साथ सामग्री पर लागू औसत सीमा शुल्क को डीईपीबी दरों के निर्धारण के लिए ध्यान में रखा जाता है। ''इलेक्ट्रॉनिक'' (उत्पाद कोड 83) हेतु एसआईओएन को विशेष मूल्य आधारित अग्रिम लाइसेंस योजना (वीएबीएएल) जिसे 1997 में वापिस ले लिया गया था, के अन्तर्गत निर्धारित किया गया। इसके पश्चात् 1997 में डीईपीबी दरें घोषित की गई जो उन एसआईओएनज पर आधारित थी। विशेष मूल्य आधारित योजना को वापिस लेने के साथ, अनुरूप एसआईओएनज् को वापिस लिया गया। चूँकि एसआईओएन को डीईपीबी के निर्धारण के लिए इनपुट मदों तथा उनकी मात्रा को सुनिश्चित करने की भी आवश्यकता है, उन मदों के लिए बाद की डीईपीबी दरों को डीईपीबी समिति जिसमें राजस्व विभाग तथा संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग स्थायी सदस्य है, द्वारा पूर्व एसआईओएन के अनुसार इनपुट के प्रति दर्शायी भारिता की तुलना में सीमा शुल्क की प्रचलित दर के आधार पर निर्धारित किया गया।

तथ्य यह है कि डीईपबी दरों को संबंधित आंकड़ों के अभाव में मनमाने ढंग से निर्धारित किया गया तथा राजकोष के संभावित नुकसान को खारिज नहीं किया जा सकता।

3.1.4 व्यापार आंकड़ों के अभाव में मूल्य सीमा का संशोधन न होना

1997 में प्रारम्भ, डीईपीबी योजना, वीएबीएएल के अनुक्रम में थी। अधिकतर डीईपीबी दरें वीएबीएएल दरों के आधार पर निर्धारित थी। विभाग द्वारा यह स्वीकृत किया गया (मई 2003) कि डीईपीबी दरों की डि-नोवो गणना को प्रभावित करने वाले कारको में से एक आंकडों का अभाव है। 2100 डीईपीबी दरों में से 60 प्रतिशत से अधिक की वीएबीएल योजना के तहत विद्यमान अतिरिक्त मूल्य के आधार पर संगणना की गई। 40 प्रतिशत दर जिसकी उद्योग द्वारा प्रस्तुत वास्तविक आंकड़ों के आधार पर गणना की गई, की पुन:

संगणना निर्यात उत्पादों तथा इनपुट के वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य की अनुलब्धता के कारण जटिल है। यह तथ्य छिपाने के लिए विभाग के पास कोई डाटा नहीं था, विभाग द्वारा ईपीसी से समकालीन व्यापार डाटा लेने का निर्णय लिया गया जिससे कोई पीएन जारी किए बिना वास्तविक डीईपीबी दरों की गणना की जा सके।

योजना की शुरूआत में व्यापार डाटा के बिना डीईपीबी द्वारा निर्धारित दरें आगे तक जारी रही और केवल उन मदों के संबंध में मूल्य की अधिकतम सीमा को समय समय पर संशोधित किया गया था जिसके लिए निर्यातक ने स्वयं ईपीसी के माध्यम से आयात-निर्यात डाटा प्रस्तुत किया था। यह देखा गया कि डीजीएफटी द्वारा मूल्य की अधिकतम सीमा के वार्षिक संशोधन के लिए समकालीन आयात-निर्यात डाटा प्राप्त करने के लिए कोई ठोस प्रयास नही किए गए थे। यह भी पाया गया कि डीजीएफटी में मूल्य की अधिकतम सीमा के संशोधन के लिए ईपीसीज़ के माध्यम से उद्योगों द्वारा प्रस्तुत डाटा के सत्यापन के लिए कोई तंत्र मौजूद नही था।

इस प्रकार, डीजीएफटी द्वारा निर्धारित मूल्य की अधिकतम सीमा की सटीकता का पता नही लगा सका और निर्यातकों को उच्चतम मूल्य की अधिकतम सीमा के कारण अनुचित लाभ की संभावना से इंकार नही किया जा सकता।

डीजीएफटी ने अपने उत्तर में बताया (फरवरी 2014) कि डीईपीबी योजना के अन्तर्गत निर्यात उत्पाद के एफओबी मूल्य पर मूल्य की अधिकतम सीमा लगाई गई थी। मूल्य की अधिकतम सीमा लगभग 2150 मदों में से 485 मदों पर लगाई गई थी जिनके लिए डीईपीबी दरें निर्धारित की गई थी। यह प्रारंभ में उद्योग द्वारा प्रस्तुत वास्तविक डाटा पर आधारित थी। किसी भी किसी मामले में, यदि मूल्य की अधिकतम सीमा का संशोधन किया गया होता, यह संभावना है कि इसे उत्पादों के एफओबी मूल्य, जो सामान्यतया हर वर्ष बढते हैं, में वृद्धि के कारण समय के साथ बढाना पड़ता। मूल्य की अधिकतम सीमा में वृद्धि के कारण अधिक राजस्व की हानि होगी। इस प्रकार, जहाँ तक डीईपीबी योजना का संबंध है, मूल्य की अधिकतम सीमा का संशोधन न करने के कारण निर्यातकों को कोई लाभ नही हुआ।

डीजीएफटी द्वारा प्रस्तुत उत्तर प्रकल्पित और बिना किसी अनुभवजन्य विश्लेषण के प्रतीत होता है। डीजीएफटी अपने दावे की पुष्टि के लिए कोई अध्ययन रिपोर्ट या गणना प्रस्तुत नही कर सका।

3.1.5 समान उत्पाद के लिए डीईपीबी दरों /मूल्य संवर्धन में अन्तर

डीईपीबी दरों/मूल्य संवर्धन विश्लेषणों से पता चला कि विभाग ने एक ही उत्पाद के लिए भिन्न भिन्न डीईपीबी दरें/विभिन्न मूल्य संवर्धन अपनाया हुआ था:-

तालिका: 8

उत्पाद कोड	उत्पाद क्रम सं.	उत्पाद का नाम	मूल्य संवर्धन	प्रतिशत में डीईपीबी दरें		
				2005	2006	2007
62	434	परिशोधित ग्लिसरीन	150 प्रतिशत	6	5	7
	525	परिशोधित ग्लिसरीन	125 प्रतिशत	7	6	8
62	265	पिगमेंट येलो-12	400 प्रतिशत	3	2	4
	598	पिगमेंट येलो-12	350 प्रतिशत	3	2	4
62	439	ट्रीचलोरो इथायलीन	225 प्रतिशत	5	4	6
	785	ट्रीचलोरो इथायलीन	275 प्रतिशत	4	3	5

एक ही उत्पाद के लिए विभिन्न मापदंड अपनाना डीईपीबी दरों के निर्धारण की प्रणाली में कमी को दर्शाता है।

डीजीएफटी ने अपने उत्तर में बताया (फरवरी 2014) कि विभिन्न मदों के लिए डीईपीबी दरें सीमा शुल्क की प्रचलित दर पर निर्धारित थी जिसकी तुलना इनपुटों के प्रति दर्शायी गई भारिता एसआईओएन और मूल्य संवर्धन पर आधारित थी। यह डीईपीबी समिति द्वारा किया गया था जिसमें राजस्व विभाग और संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग स्थायी सदस्य थे। दरों में अन्तर विभिन्न प्रसंस्करण मार्गों या तैयार उत्पाद की शुद्धता में अन्तर के कारण एक कारक हो सकता है। जब एसआईओएन का संशोधन किया गया था, तैयार उत्पाद के शुद्धता घटक को हटा कर तदनुसार, संबंधित डीईपीबी दरों में तदनुसार संशोधन किया गया था। तथापि, जहाँ भी ऐसा दोहराव पाया गया, समय-समय पर उसमे सुधार किया गया था।

डीजीएफटी ने स्पष्ट किया कि 2003 से पूर्व परिशोधित ग्लिसरीन के लिए दो डीईपीबी प्रविष्टियाँ परिशोधित ग्लिसरीन उत्पाद के लिए क्र.म. 468

(परिशोधित ग्लिसरीन 99 प्रतिशत न्यूनतम शुद्धता) और 565 (परिशोधित ग्लिसरीन 99.5 प्रतिशत न्यनूतम शुद्धता) पर थी। तथापि, क्रम सं. 434 और 525 दोनो के लिए डीईपीबी दरें क्रमश: 14 और 15 प्रतिशत की इन प्रविष्टियों को संशोधित कर दिनांक 17.02.2003 की पीएन 62 द्वारा परिशोधित ग्लिसरीन के रूप में किया गया था।

विस्तृत विचार विमर्श के बाद, डीईपीबी समिति ने क्रम सं. 434 के उत्पाद ग्रुप 'केमिकल्स' की डीईपीबी प्रविष्टि को हटाने के लिए मामले की सिफारिश का निर्णय लिया। तदनुसार, दिनांक 13.10.2010 की सार्वजनिक सूचना सं. 13 द्वारा क्रम सं. 434 की डीईपीबी प्रविष्टि को हटा दिया गया जबकि क्रम सं. 525 को उसी डीईपीबी दर पर बनाए रखा गया।

तथ्य यह है कि अक्टूबर 2010 तक परिशोधित ग्लिसरीन के लिए भिन्न डीईपीबी दरें जारी रहीं और लेखापरीक्षा द्वारा प्रकाश डाले गए अन्य उत्पादों के लिए कोई उत्तर प्रस्तुत नही किया गया।

3.2 डीईपीबी की तुलना में शुल्क फिरती योजना

जबकि डीईपीबी योजना डीजीएफटी द्वारा संचालित की जा रही थी, शुल्क फिरती योजना वित्त मंत्रालय द्वारा प्रशासित थी। वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) के सीबीईसी परिपत्र सं. 42/2011 सी.शु. दिनांक 22 सितम्बर 2011 के अनुसार, 1 अक्टूबर 2011 से डीईपीबी मदें शुल्क फिरती अनुसूची में शामिल की गई थीं।

शुल्क फिरती (डीबीके) योजना एक शुल्क छूट योजना है और फिरती योजना के लिए दरों की गणना निर्माण प्रक्रिया में प्रयोग किए गए वास्तविक इनपुटों के आधार पर की गई थी।

शुल्क फिरती योजना और डीईपीबी योजना के एक तुलनात्मक विश्लेषण से, जो 30 सितम्बर 2011 तक प्रचालन में थीं, पता चला कि डीईपीबी अनुसूची में सम्मिलित 2131 मदों में से, 1129 मदें शुल्क फिरती अनुसूची में भी थीं। डीईपीबी योजना की समाप्ति से पहले शुल्क फिरती योजना के तहत कवर की गई मदों की संख्या 2835 (लगभग) थी और डीईपीबी मदों के समावेश के बाद यह बढ कर 4000 (लगभग) हो गई।

जब दोनों योजनाएं वर्ष 2010-11 में प्रचालित थी, दोनो शुल्क छूट योजनाओं के तहत 1129 समान मदों की दर की एक तुलना से निम्न का पता चला:-

तालिका: 9

मदों की संख्या जहां डीईपीबी दर डीबीके दर से अधिक थी	1124
मदों की संख्या जहां डीईपीबी दर डीबीके दर से कम थी	5

उपरोक्त समान मदों के संबंध में वर्ष 2010-11 और 2011-12 के लिए फिरती दरों की तुलना से निम्न का पता चला:-

तालिका: 10

मदों की संख्या जहां 2011-12 के लिए डीबीके दर को 2010-11 के संदर्भ में घटाया गया	29
मदों की संख्या जहां 2011-12 के लिए डीबीके दर को 2010-11 के संदर्भ में बदला नहीं गया	96
मदों की संख्या जहां 2011-12 के लिए डीबीके दर को 2010-11 के संदर्भ में बढा दिया गया	1004

उसी प्रकार इन समान मदों के लिए ड्राबैक निदेशालय द्वारा अधिसूचित वर्ष 2011-12 के लिए फिरती दरों की उस समय की डीईपीबी दरों से तुलना से निम्नलिखित का पता चला:-

तालिका: 11

विवरण	समान मदें	नई मदें	योग	प्रतिशतता
मदों की संख्या जहां 2011-12 के लिए डीबीके दरें मौजूदा डीईपीबी दरों के संदर्भ में घटाई गई	1115 *(7.6-0.2 के बीच)*	997 *(1-9 के बीच)*	2112	99.11
मदों की संख्या जहां 2011-12 के लिए डीबीके दरों को मौजूदा डीईपीबी दरों के संदर्भ में बदला नहीं गया था	11	5	16	0.75
मदों की संख्या जहां 2011-12 के लिए डीबीके दरों को मौजूदा डीईपीबी दरों के संदर्भ में बढा दिया गया	3 *(0.3 -2 के बीच)*	शून्य	3	0.14
कुल	**1129**	**1002**	**2131**	**100**

यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि तटस्थीकरण के संबंध में डीईपीबी योजना के तहत 99.11 प्रतिशत मदें (2112 मदें) अधिक थी 0.2-9 प्रतिशत के बीच राजस्व विभाग की भी राय थी कि डीईपीबी योजना ने आयात पर सीमा शुल्क की अधिक क्षतिपूर्ति की थी।

2011-12 के लिए इन 2112 मदों के लिए अधिक डीईपीबी दरों के कारण आनुपातिक राजस्व हानि ₹ 5,858.60 करोड़ (56 प्रतिशत) तक थी।

आईसीआरआईईआर[5] द्वारा डीईपीबी पर किए गए लागत लाभ अध्ययन ने डीईपीबी क्रेडिट में समान सहायता अनुदान घटक की गणना की थी।

तालिका: 12

(क) 2112 मदों के लिए डीईपीबी योजना के तहत औसत दर	**5.98**
2112 मदों के लिए औसत डीबीके दर	2.58
(ख) औसत दर में अन्तर	3.40
(ग) 2011-12 के दौरान कुल राजस्व हानि	₹ 10,404.40 करोड़
उच्च औसत डीईपीबी दर के कारण अधिक राजस्व हानि (ग* 99.11%* ख/क)	₹ 5,858.60 करोड़

डीओआर ने अपने उत्तर में बताया (जनवरी 2014) कि फिरती योजना में विलय के कारण तत्कालीन डीईपीबी मदों की दरों से गिरावट से डीईपीबी दर में बाहरी तत्वों को घटा कर डीईपीबी दरों के बराबर फिरती दरों के साथ तत्कालीन डीईपीबी मदें प्रदान करना व्यापाक नीति सिद्धान्त दर्शाता है। तत्कालीन डीईपीबी मदों की दरों में कमी 2013-14 तक बाद की एआईआर फिरती अनुसूचि में जारी रही।

डीजीएफटी ने अपने उत्तर (फरवरी 2014) में बताया कि डीईपीबी और शुल्क फिरती योजना योजनाओं के निहित सिद्धान्तों के संदर्भ में तुलना नही की जा सकती है। शुल्क हकदारी पासबुक योजना को मुख्य रूप से निर्यात उत्पाद के माने गए आयात सामग्री पर सीमा शुल्क को प्रभावहीन बनाने के लिए तैयार किया गया था। जबकि शुल्क फिरती योजना विभिन्न सिद्धान्तों पर आधारित है जो कुछ औसतों को ध्यान में रखते हैं। तथापि, कुछ उत्पादों के लिए शुल्क फिरती की विशिष्ट दर के कारण कुछ उत्पादों के लिए शुल्क फिरती दरें उच्च हो सकती है, जबकि यह डीईपीबी की अवशेष दर के तहत आती हैं और कुछ मामलों में डीईपीबी योजना के तहत मूल्य अधिक होता है जिससे राजस्व निहितार्थ को कम किया जा सके।

डीजीएफटी का उत्तर स्वीकार्य नही है क्योंकि 2112 उत्पादों की लेखापरीक्षा द्वारा किए गए विश्लेषण से पता चला कि डीईपीबी दरें उच्च दरों पर निर्धारित कि गई थी जो कि शुल्क से वास्तविक भार के अनुरूप नही था और उसमें अन्य तर्क भी शामिल थे, जिसके परिणामस्वरूप 2011-12 में ₹ 5,858 करोड़

[5] मुखापाध्याय, सुकुमार, निर्यात संवर्धन योजनाओं के लिए कर छूट का लागत लाभ विश्लेषण, आईसीआरआईईआर, 2007

के अतिरिक्त राजस्व की हानि हुई। ईडीआई प्रणाली (पैराग्राफ 2.5.1) में लदान बिल के पीएमवी के सत्यापन के तंत्र के बिना, बढे हुए निर्यात मूल्य पर ऊपर निहित डीईपीबी शेयरों के मामलों की संभावना से इंकार नही किया जा सकता।

3.3 सीईसीए सिंगापुर का व्यापार विश्लेषण

भारत और सिंगापुर के बीच 26 महीनों की बातचीत के बाद 1 अगस्त 2005 से व्यापाक आर्थिक सहयोग समझौता (सीईसीए) लागू हुआ। यह भारत सरकार की बाजार विस्तार नीति के हिस्से के रूप में किसी पहले भागीदार के साथ भारत द्वारा हस्ताक्षर किया गया पहला व्यापक व्यापार समझौता था। भारत-सिंगापुर सीईसीए का मुख्य उद्देश्य दोनो पक्षों के बीच आर्थिक व्यापार और निवेश सहयोग को मजबूत करना और बढाना, माल के व्यापार का उदारीकरण और प्रोत्साहन, सेवाओं के व्यापार पर सामान्य समझौते के अनुच्छेद V के अनुरूप सेवाओं के व्यापार का उदारीकरण और बढावा देना जिसमें व्यवसायों की परस्पर स्वीकृति को बढावा; विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों की क्षमता और प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार और गैर पार्टियों में वाणिज्यिक और आर्थिक अवसरों के संयुक्त दोहन इत्यादि सहित पक्षों के बीच व्यापार और निवेश को बढावा देना था।

डब्यूटीओ द्वारा भारतीय व्यापार नीति पर जोरदार प्रश्नों और ईयू, यूएसए और कनाडा के साथ विवादों के बीच डीईपीबी योजना मार्च 2002 तक बंद होनी थी। डीओसी द्वारा एक नई योजना का पता लगाया जा रहा था। दोहा में डब्यूटीओ वार्ता की धीमी प्रगति को देखते हुए, व्यापक द्वीपक्षीय एफटीए और आरटीए (सार्क, एएसईएएन) को शामिल किया गया। सीईसीए, सिंगापुर से इस पृष्ठभूमि में बातचीत की गई थी। इस समझौते के लिए परिकलित भारत के अभिकलित प्रतिस्पर्धात्मक लाभ और व्यापार लाभ में वर्तमान एफटीपी और विशिष्ट रूप से डीईपीबी के परिणाम के रूप में भारतीय निर्यातक को व्यापारिक लाभ सम्मिलित था।

डीओसी ने अपनी नीतिगत योजना में दावा किया कि व्यापारिक सहयोगियों के साथ अनुकूल व्यापारिक समझौते तैयार करना सम्पूर्ण निर्यात संवर्धन नीति में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। महत्वपूर्ण सहयोगियों के साथ मुक्त

व्यापार समझौते (एफटीए) के सफलतापूर्वक समापन के प्रयासों से काफी ध्यान आकर्षित होगा। इसी प्रकार, डीओसी की आरएफडी में एक मुख्य उद्देश्य निर्यात वृद्धि को तेज करने के लिए व्यापार की परिस्थितियों में सुधार को सुविधाजनक बनाने के लिए उपायों को लागू करना था।

वित्त वर्ष 08 से भारत में सीमा शुल्क की उच्चतम दर 10 प्रतिशत है। डीईपीबी छिटपुट विस्तारणों के तहत किया गया था। दुनिया भर में मंदी 2008-09 से शुरू हुई थी। सितम्बर 2011 से डीईपीबी पूरी तरह से समाप्त हो गई थी। नीचे तालिका में 2005-06 से 2012-13 के दौरान पीटीए-सीईसीए सिंगापुर के तहत आयात का वर्ष वार विवरण स्पष्ट रूप से घटनाओं को दर्शाता है।

तालिका: 13

(₹ करोड़ में)

वर्ष	आयातों को निर्धारणीय मूल्य	प्रतिशत वृद्धि	देय शुल्क	छोडा गया शुल्क	निर्यात का मूल्य	प्रतिशत वृद्धि
2005-2006	743.04	-	119.79	101.54	24019.65	--
2006-2007	1,633.37	1.19	350.18	241.48	27461.61	4.80
2007-2008	2,020.26	0.23	389.85	293.74	29662.23	4.52
2008-2009	3,299.58	0.63	625.11	437.58	37756.88	4.49
2009-2010	3,274.58	-0.01	419.11	470.19	35948.30	-4.25
2010-2011	4,823.31	0.47	679.94	617.18	44731.73	3.91
2011-2012	5,191.11	0.07	701.95	783.42	80362.99	5.48
2012-2013	6,245.30	0.20	1,031.51	695.19	73994.97	**4.52**
कुल	**27,230.54**	**0.40** (औसत)	**4,317.45**	**3,640.32**	**3,53.938.40**	**3.35** (औसत)

स्त्रोत: राजस्व विभाग वित्त मंत्रालय,

वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग द्वारा प्रस्तुत आकंडों के विश्लेषण से पता चला कि समझौता हस्ताक्षर करने के बाद वर्ष 2005-06 से 2012-13 के लिए 0.40 प्रतिशत की धीमी वृद्धि के साथ ₹ 27,230.54 करोड़ के आयात के प्रति सीईसीए सिंगापुर के तहत आयात पर छोडी गई शुल्क की कुल राशि ₹ 3,640.32 करोड़ थी। छोडे गए कुल शुल्क में से पांच आयोतकों नामत: मै. सुप्रीम केमिकल्स, मै. बीएएसएफ इंडिया लि., मै. एलजी पोलिमर्स इंडिया प्रा. लि., मै. सी. जे शाह एण्ड क. और मै. जीसन्स इंडस्ट्रीज लि. द्वारा 26.6 प्रतिशत शुल्क प्रोत्साहन का लाभ उठाया गया था जो ₹ 968.35 करोड़ था। निर्यात में 4.7 प्रतिशत की काफी उच्च दर से वृद्धि हुई। इसके अतिरिक्त,

डीओसी के डाटा की डीओआर के डाटा से तुलना पर यह पाया गया कि वर्ष 2009-10 और 2011-12 में छोडा गया शुल्क देय शुल्क से अधिक था। इस प्रकार, इन दो विभागों द्वारा अनुरक्षित डाटा की सटीकता का आश्वासन नही दिया जा सकता।

सीमा शुल्क, 1962 की धारा 25 (1) के तहत योजना आधारित छूटों के अलावा छोडे गए शुल्क की प्रतिशतता वित्त वर्ष12 के दौरान सीमा शुल्क प्राप्ति का 145 प्रतिशत था। कच्चे और खनिज तेल, हीरा, सोना मशीनरी इत्यादि ने छोडे गए राजस्व में 88 प्रतिशत का योगदान दिया।

सीईसीए-सिंगापुर के तहत निर्यातों के संबंध में, डीओसी के पास उपलब्ध आंकडों से यह पाया गया कि 2005-06 से 2012-13 की अवधि के दौरान 3.9 से 5.5 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि के साथ ₹ 3,53,938.40 करोड़ का निर्यात किया गया और ₹ 3,640.32 करोड़ छोड़ते हुए के साथ ₹ 27,230.54 करोड़ का आयात किया गया। सामान्यतया, सिंगापुर में आयात किया गया सारा माल शुल्क योग्य माल के मामले में जीएसटी भुगतान के लिए गैर शुल्क योग्य माल और जीएसटी और/या शुल्क भुगतान के अधीन है। मादक द्रव्य, तम्बाकू उत्पाद, मोटर वाहन और पेट्रोलियम उत्पाद शुल्क योग्य माल हैं और अन्य सभी उत्पाद गैर शुल्क योग्य हैं। वर्ष 2011-12 के लिए शून्य शुल्क गंतव्य स्थान को किए गए निर्यात के मूल्य से (तालिका 12 – ₹ 80,363 करोड़) और 2112 मदों के लिए डीईपीबी योजना के तहत् औसत उच्च दर (तालिका 11 – 3.4 प्रतिशत) से ₹ 2,732 करोड़ के शुल्क स्क्रिप के लिए निर्यात उत्पन्न किए जा सकते हैं। जिन्हें इस राशि में 56 प्रतिशत अंश निष्प्रभावी करों से परे हैं। इसके अतिरिक्त, पीएमवी सत्यापन के अभाव के कारण निर्यात मूल्य भी उच्चता की तरफ हो सकता है। ₹ 2732 करोड़ तक के स्क्रिपस का किसी भी बंदरगाह से किसी आयात का भुगतान के लिए प्रयोग किया जा सकता है। दुरूपयोग के मामलों का हवाला देते हुए (जैसा कि आईसीईएस 1.5 आंकडों के विश्लेषण के माध्यम से देखा गया) कम आरएसपी (खुदरा बिक्री मूल्य) के साथ आयात प्रमाणीकरण निजी लाभ का और सरकार के लिए शुल्क परित्याग का कारण बन सकता है।

यह देखने में दिलचस्प है कि इंजेक्शन, सिरिंज इत्यादि के लिए नीडल जैसे कुछ एक तैयार उत्पादों को छोडकर, भारत सिंगापुर सीईसीए (परिशिष्ट VIII) के तहत अधिमान्य टैरिफ के अन्तर्गत आयात की गई मदें घरेलू विनिर्माण उद्योग द्वारा प्रयोग के लिए कच्चे माल या मध्यवर्ती प्रकृति के है। यह भी दिलचस्प है कि इंजेक्शन के लिए नीडल बूटानोइक एसिड और अल्केलफिनाल्स को छोडकर अधिमान्य शर्तों के तहत आयात हमारे वैश्विक आयात के 10 प्रतिशत से अधिक नही बनता है। इस प्रकार यह मानना सुरक्षित है कि इस अधिमान्य आयात का इसी प्रकार के उत्पादों के घरेलू निर्माताओं पर असर कम नही होगा।

भारत के विनिर्माण निर्यात संवर्धन'' पर XIIवें योजना कार्यग्रुप की रिपोर्ट में देखा गया कि महत्वकांक्षी व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता (सीईसीए) में आर्थिक उद्देश्यों और विस्तृत बाजार पहुँच प्राप्त करने के लिए गहरी बाजार पहुँच की मांग की गई है। सीईसीए सिंगापुर विनिर्माण क्षेत्र पर आयात का अर्थपूर्ण निर्धारण करने के लिए काफी समय से प्रचलित है। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि:

''जबकि हमारे विनिर्मित माल के निर्यात को बढाने में हमारे आरटीए के प्रभाव का सही मूल्यांकन करन बहुत जल्दबाजी होगा, इन आरसीए के तहत अधिमान्य बाजार पहुँच निश्चित रूप से लाभदायक योगदान देगें ऐसे योगदान का प्रसार इन आरटीए द्वारा पूरा कार्यान्वयन करने के बाद दिखाई देगा। निसन्देह ऐसी किसी वृद्धि और आरटीए के तहत अधिमान्य बाजार पहुँच के बीच एक अनौपचारिक संपर्क स्थापित करने की आवश्यकता होगी। डब्ल्यूटीओ के तहत बहुपक्षीय व्यापार उदारीकरण प्रयासो का बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा के संदर्भ में हमारे घरेलू निर्माताओं पर थोड़ा सा प्रभाव पड़ेगा क्योंकि हमारे व्यावहारिक और बाध्य टैरिफ के बीच पर्याप्त गुजांइश होगी। क्षेत्रीय प्रतिबद्धताओं पर प्रभाव पडेगा। तथापि, क्षेत्रीय प्रतिबद्धताएं स्वैच्छिक हैं और हम हमारी घरेलू संवेदनशीलताओं को ध्यान में रखते हुए प्रतिबद्धताएं करेंगे। बहुपक्षीय उदारीकरण का हमारे विनिर्मित निर्यातों पर एक लाभकारी प्रभाव हो सकता है क्योंकि विकसित अर्थव्यवस्थाओं के टैरिफ उनके वर्तमान स्तर से महत्वपूर्ण

रूप से कम होने की उम्मीद है। ऐसी कटौतियां विस्तृत बाजार पहुँच के साथ साथ नए बाजार खोलने के लिए अवसर प्रदान कर सकती हैं।"

डीजीएफटी ने अपने उत्तर (फरवरी2014) में बताया कि डीईपीबी लाभ लेने के उद्देश्य के लिए एक देश से आयात और विभिन्न देशों में निर्यात प्रभावित करने के बीच कोई सम्बन्ध नही है। इसके अतिरिक्त, जैसा कि पहले बताया गया है, डीईपीबी योजना निर्यात उत्पाद की मानी गई आयात सामग्री पर आधारित है और इसलिए एफटीए के तहत शुल्क छूट का लाभ लेने की तुलना में किसी निर्यात के लिए डीईपीबी योजना के तहत लिए गए लाभ के बीच कोई संबंध नहीं है।

सीईसीए सिंगापुर को देखने का निर्णय लेने का कारण है कि एफटीपी योजनाओं के कारण निर्यातकों/आयातकों को प्राप्त होने वाले प्रोत्साहन और पीटीए के कारण प्राप्त होने वाले प्रोत्साहन आपस में गहन रूप से संबंधित है। इसमें बंदरगाहों पर व्यापार सुविधा के डिजाइन और घरेलू उद्योग के लिए बुनियादी संरचना में निर्यातकों और निर्माताओं को लाभ के सटीक माप की आवश्यकता है जब तक कि यह गलत रास्ते पर हो और इसका दुरूपयोग हो जो व्यापार में वृद्धि या आर्थिक वृद्धि को जोखिम में डाले, जो की डीओसी/एमओएफ के अन्तिम नीतिगत उद्देश्य हैं।

लेखापरीक्षा द्वारा इस विश्लेषण का उद्देश्य एफटीपी जैसे डीईपीबी योजनाओं जो विभिन्न देशों के साथ जुड़े पीटीए जो इंडिया के वातावरण में संचालित हैं के परिणाम के विश्लेषण की ओर ध्यानाकर्षण था। डीओसी की XIIवें योजना कार्यकारी ग्रुप ने भी पाया कि आर्थिक सहायता के बजाए वृद्धि, प्रतिस्पर्घा, संरचनात्मक ढांचा और सुविधाओं की आवश्यकता है।

3.4 निर्यात के प्रति अत्यधिक आयात के परिणामस्वरूप विदेशी मुद्रा का अत्यधिक वर्हिगमन

एचपीबी खण्ड 1, 2009-14, के पैराग्राफ 4.37 के अनुसार, योजना के तहत शुल्क क्रेडिट की गणना एसआईओएन के अनुसार कथित निर्यात उत्पाद के माने गए आयात सामग्री को ध्यान में रखकर की जाएगी। योजना के तहत शुल्क क्रेडिट की दर का निर्धारण करते समय ऐसे उत्पाद के निर्यात द्वारा

प्राप्त मूल्य संवर्धन को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। डीईपीबी योजना किसी स्क्रिप के प्रति आयात के मूल्य पर कोई प्रतिबंध प्रदान नहीं करता, प्रतिबंध स्क्रिपस के मूल्य तक सीमित था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि अहमदाबाद, मुम्बई और कोलकाता के 3 आरएज़ के 68 मामलों में ₹ 105.58 करोड़ के निर्यात के प्रति जारी डीईपीबी स्क्रिपों का प्रयोग कर ₹ 145.54 करोड़ तक का आयात किया गया था जिससे देश से विदेशी मुद्रा का अधिक बहिर्गमन हुआ। डीईपीबी योजना में विदेशी मुद्रा का बहिर्गमनन अन्तर्गमन से अधिक न हो या अन्य शब्दों में आयात का सीआईएफ मूल्य निर्यात पर वसूले गए एफओबी मूल्य से अधिक था। यह सुनिश्चित करने के लिए कोई नियंत्रण नही था।

आरए भोपाल की ईडीआई प्रणाली के माध्यम से प्रदत्त, सृजित डाटा में प्रविष्टि के बिलों के प्रति केवल डीईपीबी डेबिट दर्शाया गया था और न की कुल डेबिट (अर्थात नकद भुगतान, ईपीसीजी भुगतान इत्यादि)। कुल डेबिट के अभाव में, संगत सीआईएफ मूल्यों को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता। डीजीएफटी, भोपाल ने सूचना दी कि उनके पास ऐसी कोई सूचना नहीं थी।

लेखापरीक्षा को उपलब्ध करवाए गए आल इंडिया ट्रेड आईसीईएस 1.5 डाटा के विश्लेषण से भी पता लगा कि सिस्टम में बीई के प्रति केवल डीईपीबी डेबिट रिकार्ड किए गए थे और सीमाशुल्क से डीजीएफटी को प्रेषित नहीं किए गए थे।

इंगित किए जाने पर (जून/जुलाई 2013), उपायुक्त सीमाशुल्क, सीमाशुल्क हाऊस, काडंला और पीपावाव ने उत्तर दिया (जुलाई 2013) कि डीईपीबी लाइसेंस का उपयोग करते समय, डीईपीबी लाइसेंस में उपलब्ध शुल्क क्रेडिट का उपयोग किया गया था और न कि सीआईएफ मूल्य का।

डीजीएफटी ने नीति प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सीमा शुल्क विभाग से प्राप्त आनलाइन डाटा की समीक्षा नहीं की और ईडीआई माडयूल पर डाटा आवश्यकता को संशोधित नहीं किया।

डीओआर ने अपने उत्तर में बताया (जनवरी 2014) कि यदि डीजीएफटी द्वारा अतिरिक्त डाटा फील्ड की आवश्यकता के बारे में बताया जाता तो उसे उपलब्ध करवाने की व्यवहार्यता की जांच की जा सकती है।

डीजीएफटी ने अपने उत्तर (फरवरी 2014) में दावा किया कि विदेशी मुद्रा बहिर्गमन योजना से संबंधित नही है और स्पष्ट किया कि निर्यातक डीईपीबी स्क्रिप के प्रति कुछ भी आयात करने के लिए स्वतंत्र है। संभावना है कि फर्में उच्च डीईपीबी दरों के साथ निर्यात के आधार पर प्राप्त डीईपीबी स्क्रिप के प्रति कम सीमा शुल्क वाला माल आयात कर सकती हैं। विदेशी मुद्रा का बहिर्गमन योजना से सम्बद्ध नहीं है।

डीजीएफटी ने आगे बताया कि डीईपीबी योजना के तहत शुल्क निर्यात उत्पाद के मूल सीमा शुल्क घटक के लिए है। यह शुल्क क्रेडिट नकद भुगतान के बदले में है। इस प्रकार, डीईपीबी योजना के तहत डीईपीबी स्क्रिप की उपयोगिता का संबंध सीआईएफ के आयात पर किसी सीमा निर्यात के एफओबी मूल्य के लिए आवश्यक नहीं है। तथापि, 2002 से पूर्व जब (एसएडी) के कथित घटको के लिए डीईपीबी राशि की ऋण आवश्यकता के बिना डीईपीबी के प्रति प्रेषित माल की निकासी पर विशेष अतिरिक्त शुल्क (एसएडी) घटकों से छूट की सुविधा उपलब्ध थी, तब उत्पाद जिसके प्रति डीईपीबी जारी किया गया है, के आयात के सीआईएफ मूल्य को अधिकतम एफओबी मूल्य तक सीमित करना अनिवार्य था।

डीजीएफटी ने यह भी बताया कि 2002 के पश्चात, विशेष अतिरिक्त शुल्क को वापिस लिया गया तथा 2004 में पुन: प्रारंभ किया गया था, डीईपीबी क्रेडिट से उपयोग होने वाले ऋणों के विशेष अतिरिक्त शुल्क को प्रेषित माल की निकासी के समय पर स्क्रिप में मंजूरी दी तथा तब से डीईपीबी के प्रति विशेष अतिरिक्त शुल्क की कोई छूट स्वीकृत नहीं की गई। इसलिए, डीईपीबी स्क्रिप के प्रति निकासी नकद में शुल्क भुगतान के प्रति प्रेषित माल की निकासी के समान हो गई। इसलिए, उत्पाद जिसके प्रति डीईपीबी जारी किया गया, के आयात के सीआईएफ मूल्य को एफओबी मूल्य तक बढ़ाकर सीमित

करने की पूर्व आवश्यकता अब प्रांसगिक नहीं थी और अत: 2004 में डीओआर की अनुमति के साथ प्रावधानों को समाप्त कर दिया गया।

डीजीएफटी का उत्तर स्वीकार्य नहीं है। अब चूँकि एसएटी पुन: प्रारंभ (2004) की गई है, डीजीएफटी विदेशी विनिमय के अत्यधिक बहिर्गमन से बचने के लिए भारतीय रूपये में एसएडी के प्रतिदाय हेतु प्रावधान कर सकता था क्योंकि विदेशी विनिमय का संवर्धन एफटीपी के उद्देश्य में से एक है। इसके अतिरिक्त, वृहत् स्तर पर इस योजना के विदेशी विनिमय अर्जन का विश्लेषण करने के लिए आरएज द्वारा दिए आंकड़ों को कैपचर करना तथा इसे विभिन्न निर्यात/आयात उत्पादों तथा गंतव्यों से परस्पर संबंधित करना आवश्यक है।